[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 32/2021-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 29 अगस्त, 2021

सा.का.नि. ...... (अ)— सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय माल और सेवा कर (सातवां संशोधन) नियम, 2021 है ।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाए, ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 में,-

(i) नियम 26 के उपनियम (1) में,-

(क) चौथे परंतुक में, "31 अगस्त, 2021" अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर, "31 अक्तूबर, 2021" अंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;

(ख) 1 नवंबर, 2021 से सभी परंतुकों का लोप किया जाएगा;

(ii) 1 मई, 2021 से, नियम 138ङ में, चौथे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह भी कि उक्त निर्बंधन 1 मई, 2021 से 18 अगस्त, 2021 की अवधि के दौरान उस दशा मे लागू नहीं होगा, जहां, यथास्थिति, **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में विवरणी या **प्ररूप जीएसटीआर-1** में जावक प्रदायों का विवरण या **प्ररूप जीएसटी सीएमपी-8** में विवरण मार्च, 2021 से मई, 2021 की अवधि के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है।";

(iii) **प्ररूप जीएसटी एएसएमटी-14** में,-

(क) "आपका रजिस्ट्रीकरण" शब्दों के पश्चात्, ",आदेश प्रतिनिर्देश सं. ...., तारीख .... द्वारा," शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ख) "क्यों रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी होने के बावजूद रजिस्ट्रीकरण के बिना कारबार संचालन के लिए" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ग) अंत में, "पदनाम" के पश्चात्, "पता" शब्द अंत:स्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. सीबीआईसी -20006/24/2021-जीएसटी]

(राजीव रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण**:** मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 610(अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 3/2017-केंद्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और संख्यांक सा.का.नि. 517(अ), तारीख 30 जुलाई, 2021 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 30/2021-केंद्रीय कर, तारीख 30 जुलाई, 2021 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।